

प्रेस नोट थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत दिनांक 16.09.2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराधो की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीसलपुर के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष बिलसंडा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.09.2021 को मुखबिर की सूचना पर अपाचे मो0सा0 पर तीन अभियुक्तगण रजत यादव पुत्र रमेश यादव निवासी मौहल्ला वर्कजई थाना कोतवाली जिला शाहजहांपुर, इरफान पुत्र मुन्ना खान निवासी मौ0 पसेवडा थाना कर्वी जिला चित्रकूट तथा नदीम पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी मौ0 हुंडालखेल थाना कोतवाली जिला शाहजहांपुर को वण्डा वार्डर पर समय करीब 16.30 बजे विभिन्न बैंकों के 28 एटीएम, 02 देशी तमंचे व कारतूस व 7500 रूपयों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण से बरामद एटीएम जनपद हाथरस, देवरिया, चौरीचौरा, हरदोई, कुशीनगर, चित्रकूट, सतना (म0प्र0) महोली (पंजाब) गोरखपुर, दिल्ली लखीमपुर तथा फतेहपुर के खाताधारकों के हैं। अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि इन्होंने पहले विभिन्न बैंकों के कुछ एटीएम इकट्ठे कर लिये उसके बाद किसी भी एटीएम में जाकर खड़े हो जाते हैं और एटीएम से पैसे निकालने आने वाले लोगों के एटीएम कोड को एटीएम में खड़े होकर देख लेते हैं तथा पैसे निकालने आये व्यक्ति का एटीएम जिस बैंक का होता है किसी न किसी बहाने से चोरी किये एटीएम में से उसी बैंक के एटीएम से बदल देते हैं और फिर उस एटीएम से रूपये निकाल लेते हैं। बरामद हुये सब एटीएम ऐसे ही इकट्ठे किये हैं तथा इनसे रूपये भी निकाले हैं। अब तक की गयी छानबीन से शाहबाद हरदोई निवासी शबनम के एटीएम से 50000/- रूपये, करीब 02 महीने पहले श्री उदयवीर सिंह निवासी कैथुलिया थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत के एटीएम से करीब 05 लाख रूपये, हरदोई जिले के आदेश के एटीएम से 7000/- रूपये, चित्रकूट जिले के राममूरत के एटीएम से 10000/- सतना जिले के त्रिनेन्द्र पाण्डे के एटीएम से 13000/- रूपये निकालने की पुष्टि हो चुकी है। अन्य मामलों के बारे में छानबीन की जा रही है। इस गैंग का सरगना इरफान है जो वर्तमान में शाहजहांपुर में एक होटल में रह रहा था। इरफान उ0प्र व आसपास के राज्यों में अपने सदस्यों के साथ मिलकर अपराध करता है।

बरामदगी:-

- 1- रजत के कब्जे से 10 एटीएम 2500 रूपये व एक देशी तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस।
- 2 - इरफान के कब्जे से 10 एटीएम, 2600 रूपये व एक देशी तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस।
- 3- नदीम के कब्जे से 8 अदद एटीएम व 2400 रूपये।

कार्यवाही:-

अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 305/2021 धारा 411/420/406 भादवि0 व 41/102 द0प्र0सं0 मु0अ0सं0 306/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 तथा मु0अ0सं0 307/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत जेल भेजा जा रहा है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त रजत यादव: -

- 1- मु0अ0सं0 250/18 धारा 420 भादवि थाना कोतवाली शाहजहांपुर
- 2- मु0अ0सं0 253/18 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली शाहजहांपुर
- 3- मु0अ0सं0 227/18 धारा 420/379/411 भादवि थाना निगोही शाहजहांपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- 1-थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह
- 2-.व0उ0नि0- श्री सुनील कुमार शर्मा
- 3-.उ0नि0 सदाकत अली
- 4-.का0 1246 अमित कुमार
- 5-.का0 203 आकाश दीप

